फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

हरिमोहन बनाम गिरधारीलाल वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकारमा एवं स्थाई निषे0 मु0नं0– 107/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर इन तथ्यों के साथ आपत्ति पेश की है कि विवादित भूमि के संबंध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 19 से 21 की पालना करके तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन तहसीलदार ने मौके पर जाकर स्वंय विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किए है बल्कि हल्का पटवारी ने प्रतिवादी गिरधारी पुत्र मुरारीलाल से मिलीभगत करके वादीगण की जानकारी एवं सूचना के बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किए है जिनसे वादीगण कतई सहमत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में जो भूमि गिरधारीलाल को दी गई है उसमें वादीगण ने चद्दर पोश एवं बोरिंग निर्माण कर रखा है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः आदेशित किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादीगण की ओर से पेश आपत्ति का विरोध करते हुए कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार किए गए है जो कि विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है तथा विभाजन प्रस्ताव में जो भूमि गिरधारीलाल को दी गई है उसी अनुसार मौके पर भी गिरधारीलाल काबिजकाश्त है। उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। गिरधारीलाल अपने हिस्से की भूमि में वर्तमान में रहवास भी बना रखी है जिसका मौका निरीक्षण उपरान्त ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किए जावें। उभयपक्ष अधिक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट है। तथा वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जो यह दर्शाता हो कि गिरधारीलाल की दी गई भूमि में वादीगण काबिजकाश्त है। इसलिए तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मौका अनुसार एवं नियमानुसार होना स्पष्ट है। अतः तहसीदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/24/3612 दिनांक 12.12.24 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.12.24 स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा